भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 16**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**जम्मू और कश्मीर में पर्यावरणीय स्वीकृति**

**16. श्री जी0 एन0 रतनपुरी :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान न की गई जम्मू और कश्मीर की विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मुगल रोड के निर्माण से साक़िन के पुनर्वास पर जम्मू और कश्मीर के उरी में वन्यजीव अभयारण्य के विकास में कितनी प्रगति हुई है ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 13 परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर की किसी भी परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति देने से इनकार नहीं किया गया था ।

(ग) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य सरकारों को वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है । पयार्वरण एवं वन मंत्रालय 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । साकिन के पुनर्वास हेतु उरी, जम्मू और कश्मीर में अभयारण्य के विकास हेतु वित्तीय सहायता मांगने का कोई भी प्रस्ताव मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

\*\*\*\*